निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 689) पटना, बुधवार, 26 दिसम्बर 2012

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

अधिसूचनाएं

21 दिसम्बर 2012

सं० सा०प्र० **39/2010**-बि.रा.अ-**494**—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार अभिलेखीय सेवा संवर्ग की भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा-शर्तों को विनियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ 1 - (1) यह नियमावली "बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं । - जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-सरकार,

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय;

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, तथा

(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. संवर्ग का गठन । - (1) इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे:-

(i) पुराभिलेखपाल

(ii) सहायक निदेशक, अभिलेख

(iii) उप निदेशक, अभिलेख

उपर्युक्त कोटि के पदों का वेतनमान अनुसूची – **I** के आधार पर होगा जो, समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार संशोधित समझा जाएगा ।

(2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से सृजित सहायक पुराभिलेखपाल एवं शोध सहायक के पद को पुराभिलेखपाल के रूप में पदनामित माना जाएगा तथा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व सहायक पुराभिलेखपाल तथा शोध सहायक के पद पर कार्यरत व्यक्ति, पुराभिलेखपाल के पद पर कार्यरत माने जायेंगे। इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी के पदों को सहायक अभिलेख निदेशक के रूप में पदनामित माना जायेगा।

4. संवर्ग बल। – संवर्ग के विभिन्न कोटियों का संवर्ग बल वही होगा, जो, समय-समय पर, सरकार द्वारा अवधारित किया जाय। संवर्ग बल राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न कोटि के अधीन पदों के सृजन के आलोक में संवर्ग बल को पुनरीक्षित समझा जायेगा।

5. आरक्षण। – समय-समय पर सरकार द्वारा विहित आरक्षण के प्रावधान इस संवर्ग के विभिन्न कोटि में लागू होंगे।

6. भर्ती। – संवर्ग की मूल कोटि के पुराभिलेखपाल के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।

7. अर्हता। – आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर की जायेगी। चयन हेतु अर्हता (शैक्षणिक योग्यता) एवं चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अंतर्वीक्षा का प्रतिशत अनुसूची-**II** के अनुसार होगा।

8. परिवीक्षा अवधि । – नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। बढ़ायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर बिना कारण बताये सेवामुक्त किया जा सकेगा।

9. प्रशिक्षण । – वैसे कर्मी जो अभिलेखीय अध्ययन में डिप्लोमा धारी नहीं है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली अथवा अन्य संस्थान में मनोनीत किये जाने पर अभिलेखीय अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स करना होगा। पांच वर्ष के भीतर डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होने पर उनकी प्रोन्नति रोक दी जायेगी। यह अवधि, विशेष परिस्थित में, राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

10. विभागीय परीक्षा एवं सेवा संपुष्टि । – (i) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा आयोजित लेखा तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा।

(ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को सेवा में कार्यरत एवं उक्त तिथि को 45 वर्ष की आयु पूरा कर लिये कार्मिकों को उप-नियम (i) के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक नही होगा।

11. प्रोन्नति । – (1) संवर्ग में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए सेवा संपुष्ट होना एवं अभिलेखीय अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। नियमावली की लागू होने की तिथि को 45 वर्ष पूरा कर लेने वाले के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित रीति से प्रोन्नति दी जा सकेगी –

(क) पुराभिलेखपाल से सहायक अभिलेख निदेशक के पद पर;

(ख) सहायक अभिलेख निदेशक से उप अभिलेख निदेशक के पद पर;

(2) प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि को पूरा किया जाना आवश्यक होगा;

(3) बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी:-

(क)	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखगाार	सदस्य सचिव
(ग)	सामान्य प्रशासन द्वारा मनोनीत, अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी	सदस्य
(घ)	प्रभारी उप-सचिव, स्थापना, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	सदस्य

12. अवशिष्ट मामले ।- इस नियमावली में विशेष रुप से अनाच्छादित विषयों के संबंध में राज्य सरकार के इस विषय में सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

13. कठिनाइयों का निराकरण ।- इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन, उसका निराकरण राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी।

14. निर्वचन । - इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के निर्वचन के लिए विधि विभाग सक्षम होगा और इस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

15. निरसन एवं व्यावृति । - (1) इस संवर्ग के संबंध में लागू सभी पूर्व नियम, संकल्प, परिपत्र आदि को एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे नियम, संकल्प, परिपत्र के अधीन की गई कार्रवाई या किया गया कुछ भी इस नियमावली के अधीन की गई कार्रवाई या किया गया कुछ भी समझा जायेगा मानो उस दिन यह नियमावली प्रभावी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची-I

बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012 की अनुसूची-I

(i) पुराभिलेखपाल । - वेतनमान - पी.बी.2 (9300-34800), ग्रेड पे-4200

(ii) सहायक अभिलेख निदेशक - वेतनमान - पी.बी. 2 (9300-34800), ग्रेड पे-4600

(iii) उप अभिलेख निदेशक- पी.बी. 3 (15600-39100), ग्रेड पे- 6600

अनुसूची-II

बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012 की अनुसूची-II

पुराभिलेखपाल पद के लिए निर्धारित अर्हता-

(क) इतिहास में (विशेष पत्र के रूप में आधुनिक भारतीय इतिहास सन् 1757-1947 के साथ) कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण।

(ख) अभिलेखीय अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पंजीकृत शोध अध्येता के रूप में इतिहास में शोध कार्य का दो वर्षो का अनुभव/किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में आधुनिक भारतीय इतिहास में दो वर्षो का अध्यापन कार्य का अनुभव।

(ग) चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव सह अंतर्वीक्षा होगा।

(घ) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर 75% तथा अंतर्वीक्षा पर 25% अंक निर्धारित होगा।

The 21st December 2012

No. Sa.Pra. 39/2010 B.S.A-494—In exercise of the powers conferred by the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating process of recruitment and conditions of service of the Bihar Archival Service Cadre.

1. *Short title, extent and commencement.- (*1) These Rules may be called the "Bihar Archival Cadre Rules 2012".

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of notification.

2. *Definitions.-* In these Rules, unless the context otherwise requires :-

(i) "State Government" means the Government of Bihar.

(ii) "Appointing authority" means Director of Archives, Bihar State Archives Directorate.

(iii) "Department" means Cabinet Secretariat Department and

(iv) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission.

3. *Constitution of Cadre* .- In this cadre there shall be posts of following categories.

(i) Archivist
(ii) Assistant Director of Archives
(iii) Deputy Director of Archives

Pay scale of the posts of above noted categories will be on the basis of Schedule-**I** which will be deemed amended from time to time in accordance with amendment made by the State Government.

(2) The posts of Assistant Archivist and Research Assistant created before coming into force of these Rules will deemed to be designated as Archivist and the persons working on these posts before coming into force of these rules will be deemed as working on the post of Archivist. Their seniority will be fixed on the basis of their date of appointment.

(3) The posts of Training cum Exhibition Officer and Regional Archives Officer will deemed to be designated as Assistant Director of Archives from the date of coming into force of these rules.

4. *Cadre Strength*.**—** The cadre strength of various posts shall be such as determined by the State Government from time to time. Cadre strength shall deemed to be revised in light of creation of posts under dfferent categories in this cadre by Government orders.

5. *Reservation.—* The provisions relating to reservation prescribed by the government from time to time will be applicable in different categories of this cadre.

6. *Recruitment.—* The direct recruitment on the basic grade post of Archivists in the cadre shall be made on the recommendation of Bihar Staff Selection Commission.

7. *Qualification.—* Recommendation of selection by the Commission will be made on the basis of educational qualification, experience and interview. The criteria (educational qualification) for selection and percentage for educational qualification, experience and interview for selection will be according to Schedule-II.

8. *Probation Period.—*Probation period will be two years after the date of appointment. If the service is not found satisfactory during probation period, it can be extended for one year. If the service is not found satisfactory even during the extended period, the person concerned may be removed from service without any notice.

9. *Training.—* The personnels who are not Diploma holder in archival studies, will have to successfully complete one year Diploma course in Archival studies on being nominated by the State Government to the National Archives, New Delhi or to any other institution. Promotion of such personnel will be witheld if the one year Diploma Course is not completed within five years. This period may be extended by the State Government in special circumstances.

10. *Departmental Examination and Confirmation in Service.—* (i) The personnels under probation can be confirmed in service only after passing the Accounts and Hindi Noting and Drafting Examination conducted by the State Government.

(ii) Passing of the departmental examination as prescribed under sub rule (i) will not be essential for those personnels who are in service on the date of coming into force of these rules and are more than forty five years of age on that date.

11. *Promotion.—* (1) Confirmation in service and completion of one year diploma in archival studies will be essential for promotion to higher posts in the cadre, One year diploma will not be required for those who have completed 45 years of age on the date of coming into force of the Rules. Promotion will be granted by the State Government on the

basis of seniority on the recommendation of Departmental Promotion Committee in the following manner :-

(a) From the post of Archivist to the post of Assistant Director.

(b) From the post of Assistant Director to the post of Deputy Director.

(2) It will be essential to complete Kalawadhi as prescribed by the State Government from time to time for promotion.

(3) The Departmental Promotion Committee, in cases where concurrence of Bihar Public Service Commission is not required, shall be consisting of the following:-

(a)	Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary, Cabinet Secretarirat Department	President
(b)	Director, Bihar State Archives	Member Secretary
(c)	An Officer nominated by General Administration Department belonging to S.C./S.T. category	Member
(d)	Deputy Secretary, Establishment, Cabinet Secretariat Department	Member

12. *Residuary Matters.*— With regard to matters not specifically covered by these Rules the provision of relevant Rules of State Government will be applicable in these matters.

13. *Removal of Difficulties.*— If any difficulty arises in the implementation of the provisions of these Rules, the State Government may, by notification remove such difficulties subject to the provisions of these Rules.

14. *Interpretations.*— The Law Department will be competent for interpretation of any provision of these Rules and its decision shall be final.

15. *Repeal & Saving.*— (1) All Rules, Resolutions and Circulars etc. issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Not withstanding such repeal, any thing done or any action taken according to these Rules, Resolutions and Circulars will be deemed to be done under these Rules as if it were effected on such date when such action was taken or anything was done.

By order of the Governor of Bihar,
VIJOY PRAKASH,
Principal Secretary to Government.

SCHEDULE-I

SCHEDULE-I OF THE BIHAR ARCHIVAL CADRE RULES 2012

(i)	Archivist	Pay Scale - P.B. 2 (9300-34800)	Grade Pay-4200
(ii)	Assistant Director of Archives	Pay Scale - P.B. 2 (9300-34800)	Grade Pay-4600
(iii)	Deputy Director of Archives	Pay Scale - P.B. 3 (15600-39100)	Grade Pay- 6600

SCHEDULE-II

SCHEDULE-II OF THE BIHAR ARCHIVAL CADRE RULES 2012

Qualification required for the post of Archivist-

(a) M.A in History (with special paper in Modern Indian History from 1757 to 1947) with minimum second class

(b) One year Diploma in Archival Studies or minimum two years research experience as registered as Research Scholar in History from any recognized University/ two years teaching experience of Modern History in any recognized institutions.

(c) Selection will be based on the basis of educational qualifications, exprience cum interview.

(d) 75% marks will be fixed for educational qualification and exprience and 25% for interview.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 689-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in